

Office of the Principal Swami Vivekanand Govt College
Susner Dist-Agar Malwa MP

Phone/Fax No. 07361-233449 Email ID hesvgcsusshg@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

Date: 29.04.2021

CERTIFICATE

This is certified that Scholarship and Educational incentive
Paid/Sanctioned in Year 2018-19 are below-

SN	Name of Scheme	No. of Strength	Amount in Rs.
1	POSTMATRIC SCHOLARSHIP	663	3369899
2	GAON KI BETI	209	999000
3	AAWAS SAHAYATA YOJNA	189	2243000
4	Mukyamantri Meghavi Yojna	43	75407
5	Mukyamantri Janklyan Yojna	66	102134

Enclosed -

1. Sanction Order


PRINCIPAL

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगरा मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1181991/

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 208

कुल राशि (रुपये में)

:- 1108216

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2019

No / PMS / OBC / 1182092/

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 134

कुल राशि (रुपये में)

:- 580416

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship porta पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner
Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
Designation: Assistant Director

NIC

Page 1/25

स्वा. वि. शास्त्रीय महाविद्यालय
सुसनेर (आगर - मालवा) पं.प्र.

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-15

सुसनेर प्रिन्सिपल

Office of Prinicipal / Director / Dean
Swamy Vivekanand Govt College, Susner
जिला :- आगर मालवा

[New Cases]



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-26/03/2019

No / PMS / OBC / 1184391/

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संग्रहन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 55

कुल राशि (रुपये में)

:- 239199

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संग्रहन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean
Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय

आगर मालवा जिला
Generated by MPT Scholarship Portal. Printed on:-22/04/2019

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner
Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
Designation: Assistant Director





Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1184395/

आगर मालवा , दिनांक :-26/03/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 19

कुल राशि (रुपये में)

:- 102395

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पदाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।


किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-29/05/2019

No / PMS / OBC / 1197013/

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

वर्ग :- OBC

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 10

कुल राशि (रुपये में)

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

:- 40750

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा। संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला आगर मालवा

जिला (आगर-मालवा) म.प्र

Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा, दिनांक :-25/05/2019

No / PMS / OBC / 1193621/

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछडावर्गी छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक अकाउंट खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

वर्ग :- OBC

कुल लागू न्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 12

कुल राशि (रुपये में)

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

:- 68942

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढ़ाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी। किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की

अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोर्ट से प्रवेक्षित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1210772/

आगर मालवा , दिनांक :-29/06/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संग्रहण सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक अकका खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

वैश्विक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 8

कुल राशि (रुपये में)

:- 34396

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उतीर्ण वषा की अंतिम तिथि द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थियों के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और घंघा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रेषित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संग्रहण : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

This Sanction is generated by MP-Scholarship Portal. Printed on:01/07/2019



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1211758/

आगर मालवा , दिनांक :-29/06/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 3999

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढ़ाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, आगर मालवा



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1209129/

आगर मालवा , दिनांक :-29/06/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संग्रहन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 8

कुल राशि (रुपये में)

:- 41086

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/निपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची !

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला आगर मालवा

रसनेर जिला (आगर मालवा) म.प.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1216471/

आगर मालवा , दिनांक :-26/07/2019

21-08-19

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संग्रहन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 5

कुल राशि (रुपये में)

:- 22351

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संग्रह : उपरोक्तानुसार सूची ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
Designation: Assistant Director



Principal / Director / Dean
Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

प्रचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय

सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) नं.3



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1215157/

आगर मालवा , दिनांक :-19/08/2019

21-08-19

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछडावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संग्रहन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 2

कुल राशि (रुपये में)

:- 11192

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा सम्मान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संग्रहन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

प्राचार्य

स्व. वि. शासकीय महाविद्यालय

सुसनेर जिला (आगर - मालवा) पं. प्र

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
Designation: Assistant Director



Page 1/3

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, Jhansi, U.P. Scholarship Portal. Printed on:-21/08/2019



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1227935/

आगर मालवा , दिनांक :-08/11/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 4829

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की

अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुनर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1279196/

आगर मालवा, दिनांक -30/01/2021

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

नैतिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम/के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

शैक्षणिक सत्र- 2018-19

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 4925

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा। संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म से प्रेषित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, आगर मालवा

जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner, Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner
Designation: Assistant Director

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on: 30/01/2021

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC , Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Sanction Order : 1185894 For Academic Year : 2018-19 , Sanction Date : 20/03/2019

[Category :-SC]

[New Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1185894

आगर मालवा , दिनांक :-20/03/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 73

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 191700 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 164521
कुल : 356221

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/12

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 22/04/2019

स्वा. वि. शासक महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC , Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Sanction Order : 1185623 For Academic Year : 2018-19 , Sanction Date : 20/03/2019

[Category :-SC]

[Renewal Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1185623

आगर मालवा , दिनांक :-20/03/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19
शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 95
स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 342000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 242515
कुल : 584515

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Designation: District Co-Ordinator



Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner


Designation: District Co-Ordinator

Page 1/16

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 22/04/2019

प्रधान

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1193660

आगर मालवा , दिनांक :-04/05/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19
 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
 वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 6
 स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 15300 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 13746
 कुल : 29046

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/4

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 04/05/2019

प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1193662

आगर मालवा , दिनांक :-04/05/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19
 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
 वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 5
 स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 18000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 13223
 कुल : 31223

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal, Printed on 04/05/2019

प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1203056

आगर मालवा , दिनांक :-21/05/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 2400 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2063
कुल : 4463

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माइगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उतरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 30/05/2019

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC , Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Sanction Order : 1200987 For Academic Year : 2018-19 , Sanction Date : 29/05/2019

[Category :-SC]

[Renewal Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1200987

आगर मालवा , दिनांक :-29/05/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 7200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 4880

कुल : 12080

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 30/05/2019


प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1211237

आगर माला , दिनांक :-29/06/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्राधान्यों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक वर्ष : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 4

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 10500 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 9644

कुल : 20144

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मागले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./भाईडेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।



प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
रा. जिला (आगर-नाबवा) प.प्र



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1279195

आगर मालवा , दिनांक :-30/01/2021

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New-Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 2400 2.शुशिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2063

कुल : 4463

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 30/01/2021

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.


Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for ST , Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Sanction Order : 1195711 For Academic Year : 2018-19 , Sanction Date : 16/04/2019

[Category :-ST]

[Renewal Cases]



आगर मालवा , दिनांक :-16/04/2019

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1195711

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 6

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 21600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 15990
कुल : 37590

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Designation: District Co-Ordinator



Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/4

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 16/04/2019


प्रोचार्य
स्व. डि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1200494

आगर मालवा , दिनांक :-04/05/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19
 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
 वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2
 स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 0 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 4226
 कुल : 4226

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उतीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/3
This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 04/05/2019

प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1200825

आगर मालवा, दिनांक :-08/05/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19		
शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner		
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार :	Renewal Cases
			कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	: 1
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भत्ता	:	3600
		2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित	:	2767
		कुल	:	6367

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator



Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal, Printed on 08/05/2019

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1211224

आगर मालवा , दिनांक :-27/06/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 7200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 5452
कुल : 12652

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator




आचार्य
 स्या. वि. शासकीय महाविद्यालय
 रासनेरजिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Swamy Vivekanand Government College Susner
Post Metric Scholarship for ST, (NEW CAS) Instisute Code 16806
Sanction Order NO.197 For Academic Year 2018-19, Sanction Date : 22-11-2019

स्वीकृति आदेश

महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत बी0ए0 द्वितीय वर्ष अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थी कु0 इन्द्रा भिलाला पिता श्री रामचन्द्र भिलाला का आवेदन पत्र अनुसूचित जनजाति पोर्टल एम0 पी0 टॉस पर सब्मिट नहीं होने के कारण जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण आगर-मालवा के निर्देशानुसार ऑफ लाईन छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है ।

S.N.	Admission Date	Student Name	Mother's Name	Samagra ID	M/F	Is Hosteller	Annual Family Income	Bank Account No.	IFSC CODE	No. of Months	M.A. Rate	Total M.A.	Total Reimbursable Fee	Total Sanction Amount
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
1	29/08/2018	Indra D/O Ramchandra	Ayodhya Bai	141518406	F	No	30000	35023211075	SBIN0030070	7	300	2100	2113	4213
Sub Total												2100	2113	4213

In Word : Four Thosand Two Hundred Thirteen.

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1010850 Dated:16/01/2019 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1010850

आगर मालवा , दिनांक :-16/01/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	15	कुल राशि (रुपयें में)	:	74000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्रस्तावकर्ता एवं प्रमुख
स्वीकृति आदेश, जिला: आगर मालवा
आगर मालवा जिला (आगर मालवा)

MIC

Page 1/4

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date:16/01/2019

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner
जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1012130 Dated:15/02/2019 [Academic Year : 2018-19]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2019

क्रमांक/गा.की.बे/1012130

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	4	कुल राशि (रुपयें में)	:	20000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1008827 Dated:07/12/2018 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटों योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008827

आगर मालवा , दिनांक :-07/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटों योजना)

गाँव की बेटों योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्रों को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भूगतान कोषालय के माध्यम से छात्रों के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्रों की संख्या	:	25	कुल राशि (रुपयें में)	:	121000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्रों हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्रों को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रों को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रों को एक समय में गांव की बेटों योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्रों का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को गांव की बेटों योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रों द्वारा गांव की बेटों योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रों द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भूगतान की जा चुकी राशि को छात्रों से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृत अधिकारी, जिला आगर मालवा
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
(सुनैर जिला (आगर-मालवा) न.प्र.)

NIC

Page 1/5

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-07/12/2018

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1012125 Dated:15/02/2019 [Academic Year : 2018-19]

:: गाँव की बेटा योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1012125

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटा योजना)

गाँव की बेटा योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्रों को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्रों के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्रों की संख्या	:	20	कुल राशि (रुपयें में)	:	91000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्रों हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्रों को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रों को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रों को एक समय में गांव की बेटा योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्रों का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को गांव की बेटा योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रों द्वारा गांव की बेटा योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रों द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रों से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकृती अधिकारी, जिला-आगर मालवा
पुस्तकालय

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1012300 Dated:08/03/2019 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.वे/1012300

आगर मालवा , दिनांक :-08/03/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	1	कुल राशि (रुपयें में)	:	5000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूल जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

स्वीकृति एवं पदसूदा
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा)

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1008776 Dated:07/12/2018 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008776

आगर मालवा , दिनांक :-07/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	49	कुल राशि (रुपयें में)	:	242000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला आदेश मालवा
स्वा. वि. शासक शिक्षा, मालवा
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) न.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner
जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1010887 Dated:16/01/2019 [Academic Year : 2018-19]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

आगर मालवा , दिनांक :-16/01/2019

क्रमांक/गा.की.बे/1010887

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	67	कुल राशि (रुपये में)	:	312500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर शिक्षा (आगर-मालवा) ग.प्र.

NIC

Page 1/7

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-16/01/2019

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1010884 Dated:16/01/2019 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1010884

आगर मालवा , दिनांक :-16/01/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	11	कुल राशि (रुपयें में)	:	51500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिला-आगर मालवा)
स्वा. वि. शासकीय उच्च शिक्षा विभाग
सुसनेर जिला (आगर-मालवा)

NIC

Page 1/4

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-16/01/2019

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1012131 Dated:15/02/2019 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2019

क्रमांक/गा.की.बे/1012131

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	5	कुल राशि (रुपयें में)	:	24000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्रिन्सिपल एवं प्रमुख
स्वीकृति अधिकारी, जिला-आगर मालवा
सुसनेर जिला (आगर)



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1008842 Dated:07/12/2018 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008842

आगर मालवा , दिनांक :-07/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	7	कुल राशि (रुपयें में)	:	34000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा
स्वा. वि. शिक्षण विभाग
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner
जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1006880 Dated:30/10/2018 [Academic Year : 2018-19]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1006880

आगर मालवा , दिनांक :-30/10/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	3	कुल राशि (रुपयें में)	:	14500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता, अधिकारी, जिला:आगर मालवा
सुसनेर जिला (आगर मालवा) म.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1010972 Dated:16/01/2019 [Academic Year : 2018-19]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1010972

आगर मालवा , दिनांक :-16/01/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	1	कुल राशि (रुपयें में)	:	5000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

स्वीकार्य
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृति अधिकारी, जिला-आगर मालवा
संलग्न जिला (आगर मालवा) म.प्र.

NIC

Page 1/3

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-16/01/2019

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1012132 Dated:15/02/2019 [Academic Year : 2018-19]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1012132

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2019

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2018-19	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	1	कुल राशि (रुपर्यें में)	:	4500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 125365 For Academic Year : 2018-19

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./125365

AGAR MALWA, दिनांक :-30/03/2019

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।


शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 72 कुल राशि (रुपयें में) : 844000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विध्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।




हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-AGAR MALWA
प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 125335 For Academic Year : 2018-19

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./125335

AGAR MALWA, दिनांक :-30/03/2019

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 94 कुल राशि (रुपयें में) : 1128000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-AGAR MALWA

प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगरा-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 126501 For Academic Year : 2018-19

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./126501

AGAR MALWA, दिनांक :-08/05/2019

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 9 कुल राशि (रुपयें में) : 103000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, **आगर** AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 128155 For Academic Year : 2018-19

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./128155

AGAR MALWA, दिनांक :-01/07/2019

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3 कुल राशि (रुपयें में) : 36000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./126500

AGAR MALWA, दिनांक :-08/05/2019

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपयें में) : 24000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./125602

AGAR MALWA, दिनांक :-30/03/2019

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 7 कुल राशि (रुपयें में) : 84000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-AGAR MALWA



Sanction Order : 128157 For Academic Year : 2018-19

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-01/07/2019

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./128157

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्रा/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्रा/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृत/प्रमाणित विधिवत जिला-AGAR MALWA
संस्थानिकाधिकारी
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 128156 For Academic Year : 2018-19

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-01/07/2019

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./128156

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (अमर-मालवा) म.प्र.



43

SWAMI VIVEKANAND GOVERNMENT COLLEGE SUSNER
Academic Year 2018-19 (MMVY)

S.No.	Sanction Number	Sanction Date	Applicant ID	Application Number	Student Name	DOB	Father	Mother	Category	Course	
✓ 1	177249	25/10/2018	2574094	10160885(तृतीय)	ROHIT KANUDIYA	15/12/1999	ASHOKJI	YASHODABAI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1895/-
✓ 2	175237	17/10/2018	2573716	10159148(तृतीय)	SALONI MALI	29/06/2000	RAMESHCHAND	MAMTABAI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 3	175133	17/10/2018	2574369	10158524(तृतीय)	RAJKUNWAR BAGDAWAT	04/06/2000	GOVINDSINGH	SHOBHA	OBC	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/-
✓ 4	175080	17/10/2018	2574373	10159215(तृतीय)	MUSKAN JAIN	07/05/1999	MAHAVIRJAIN	MANJUJAIN	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/-
✓ 5	175078	17/10/2018	2577400	10159178(तृतीय)	VISHNU NA	03/07/1997	GOKULSINGH	JASKUNWAR	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 6	175077	17/10/2018	2574093	10159217(तृतीय)	DEVAN KUSHWAH	25/07/2000	KAILASHCHAND	NIRMALABAI	OBC	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/-
✓ 7	174678	16/10/2018	2572543	10159153(तृतीय)	TASKIN BEE	30/08/1999	YUNUSANSARI	SHAHIDABEE	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 8	174581	16/10/2018	3041006	10133650	NISHA PATIDAR	28/04/2000	JAGDISH	NIRMALABAI	OBC	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1785/-
✓ 9	174576	16/10/2018	2554460	10144604(तृतीय)	RAM SUKHEE PATIDAR	02/03/2000	GOPALPATIDAR	LEELABAI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 10	174575	16/10/2018	3178141	10158975	POOJA CHOUHAN	20/07/2000	UMARAVSINGHJI	SUNITABAI	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/-
✓ 11	172367	12/10/2018	3044149	10137825	RUKMAN CHOUHAN	18/06/2001	RAMNATHSINGHCHOUHAN	BHANWARKUNWAR	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/-
✓ 12	172356	12/10/2018	2575344	10140463(तृतीय)	NIKITA NA	06/04/2000	ASHOK	KRISHNABHAWSAR	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-P. Sc.	1799/-
✓ 13	171099	11/10/2018	2570699	10140457(तृतीय)	SHILPA RAJPUT	02/09/1999	YOGENDRASINGH	SUREKHAKUNWAR	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/-
✓ 14	171098	11/10/2018	2577392	10137362(तृतीय)	SELEENA KHANAM	06/10/2000	AKHALAKKHAN	SHAMEENA	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 15	171097	11/10/2018	2582532	10140812(तृतीय)	ANKITA PANCHOLI	15/06/1999	JAGDISH	VIDHYA	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 16	171096	11/10/2018	3043040	10136482	ALSHIFA QURESHI	19/01/2000	WAHIDQURESHI	FERJANABEE	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1785/-
✓ 17	171095	11/10/2018	3139890	10158088	RAJAT JAIN	30/04/1999	RAJESHJAIN	RAKHIJAIN	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1881/-
✓ 18	171094	11/10/2018	3044275	10140426	CHANCHAL KELWA	23/04/2001	BHUPENDRASINGHKELWA	AJABKUNWAR	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/-

32,466

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
(सुनर विद्या (अमर-मालवा) क.प्र.)

32466

✓ 19	171092	11/10/2018	3027666	10118443	HEENA MIRJA	28/06/2000	RASIDBEG	FEMIDABEE	GENERAL	1028-Arts-B. A.	1237/
✓ 20	171091	11/10/2018	3041520	10133898	PINKI JAIN	10/07/2000	RAJESHJAIN	RAJULJAIN	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1785/
✓ 21	171090	11/10/2018	3041513	10133892	SAKSHI JAIN	24/08/2000	MAHAVEERJAIN	MEENA JAIN	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1785/
✓ 22	171089	11/10/2018	3044092	10137814	DARSHANA JAIN	15/08/2001	MAHENDRAJAIN	ANITA JAIN	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1785/
✓ 23	171084	11/10/2018	3044276	10140427	HARISH SHARMA	20/12/2001	PAPPUJI	SAJANBAI	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1881/
✓ 24	171074	11/10/2018	3044191	10137827	RAJESH SHARMA	02/05/2000	PURALAL	SHANABAI	GENERAL	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1881/
✓ 25	171068	11/10/2018	3040890	10133019	SAPNA SHARMA	10/04/2002	SITARAM	DHAPUBAI	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/
✓ 26	171057	11/10/2018	3044207	10137828	PREETI JAIN	06/05/2000	MOTILALJAIN	RENU JAIN	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/
✓ 27	171050	11/10/2018	3033849	10124524	NIDHI JOSHI	05/09/2000	SHARAD	RUKMANI	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/
✓ 28	171047	11/10/2018	3033834	10124503	NANDINI JOSHI	05/09/2000	SHARAD	RUKMANI	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/
✓ 29	171044	11/10/2018	3049414	10142627	MAMTA SONGARA	14/01/2001	BHANWARSINGH	GOVINDKUNWAR	GENERAL	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1809/
✓ 30	171038	11/10/2018	2575345	10144607(तृतीय)	LAVISHA BHAWSAR	26/06/2001	DEEPAK	SANTOSH	OBC	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/
✓ 31	171033	11/10/2018	2573774	10144606(तृतीय)	KAVITA SONI	18/02/1999	KAILASHSONI	HIRAMANI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/
✓ 32	171031	11/10/2018	2574226	10147250(तृतीय)	KAVITA PATIDAR	24/08/1999	GAJANAND	RAMKANYABAI	OBC	1028-Arts-B. A.	1227/
✓ 33	171025	11/10/2018	2580326	10145081(तृतीय)	JASWANT SINGH	15/03/2000	GOPALSINGH	BHARATBAI	OBC	1028-Arts-B. A.	1323/
✓ 34	171022	11/10/2018	2554545	10139285(तृतीय)	PRATIK RATHORE	18/04/2001	KAMLESH	SEEMA	OBC	1533- Physics, Chemistry, Maths-	1871/
✓ 35	171016	11/10/2018	2570622	10144605(तृतीय)	SUMAN BHANJA	20/07/2000	RAMESHCHANDRA	SHYAMA	SC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/
✓ 36	171009	11/10/2018	2573978	10147238(तृतीय)	MUSKAN MANSURI	05/08/1999	ISARAILMANSURI	SARIPANBEE	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/
✓ 37	170997	11/10/2018	2574376	10147277(तृतीय)	TEENA NA	03/07/1999	SALIGRAM	LEELABAI	SC	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/
✓ 38	170992	11/10/2018	2557798	10140460(तृतीय)	RANI PATIDAR	04/02/2001	MOHANLAL	KRISHNABAI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/

Handwritten signature

670:
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
(सुन्दरगिरी (अमर-महल) पं.)

67032

✓ 39	170989	11/10/2018	2574079	10147297(तृतीय)	RANU CARPENTAR	01/04/1998	RAMESHWAR	RUKMA	OBC	1533- Physics, Chemistry, Maths-	1775/-
✓ 40	170986	11/10/2018	2574035	10144603(तृतीय)	NIKITA PATIDAR	07/02/2001	PAPPUPATID AR	GAYATRI PATIDAR	OBC	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B.	1775/-
✓ 41	170977	11/10/2018	2573918	10148488(तृतीय)	REENA RATHORE	04/03/2000	MOHANLAL	GUDDIBAI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 42	170971	11/10/2018	2572599	10140462(तृतीय)	FIRDOS ANSARI	15/11/1999	SHAHJADANS ARI	SHAHNAJANSARI	OBC	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.	1799/-
✓ 43	170966	11/10/2018	2574372	10148487(तृतीय)	ANTIMBALA NA	12/05/2000	OMPRAKASH	MANKUNWARBAI	OBC	1032-Commerce-B. Com	1227/-

7540.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 [Blue stamp text: राज. वि. शासकीय प्र. विद्यालय, गुणकरी (अप. - विस) म. प्र.]

SWAMI VIVEKANAND GOVERNMENT COLLEGE SUSNER
MMJK Yojna Academic Year 2018-19

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Date	Disbursal Amount	Applicant ID	Application Number	Student Name	DOB	Course
✓ 1	100018693	14/11/2018	1333	3041525	10012265	PREM SINGH	25/07/2000	1028-Arts-B. A.
✓ 2	100018691	14/11/2018	1905	3044273	10013566	KAMAL SINGH SONDHIIYA	15/08/2002	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 3	100018688	14/11/2018	1333	3044247	10012286	DILIP SINGH	04/01/2001	1028-Arts-B. A.
✓ 4	100018687	14/11/2018	1333	3033960	10006619	DILEEP SINGH	12/08/2001	1028-Arts-B. A.
✓ 5	100016923	27/10/2018	1227	3235029	10036848	POOJA SHARMA	01/11/1997	1028-Arts-B. A.
✓ 6	100016380	25/10/2018	1333	3041504	10010591	SARFRAJ MANSURI	28/03/2000	1028-Arts-B. A.
✓ 7	100016378	25/10/2018	1333	3046633	10013603	RAMESHWAR YADAV	05/01/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 8	100016197	25/10/2018	1423	3053534	10019206	LALUPRASAD NA	02/02/1996	1028-Arts-B. A.
✓ 9	100015822	23/10/2018	1237	3218482	10036139	RADHA RANI SHARMA	15/06/2001	1032-Commerce-B. Com
✓ 10	100015821	23/10/2018	1237	3217089	10036072	FIRDOS NA	30/07/1999	1028-Arts-B. A.
✓ 11	100015820	23/10/2018	1237	3187498	10034956	DIVYA JAIN	21/08/2000	1028-Arts-B. A.
✓ 12	100015146	18/10/2018	1237	3187567	10034957	RUBEENA NA	10/05/2001	1028-Arts-B. A.
✓ 13	100014572	17/10/2018	1775	2869717	10034410	SHWETA CHOUHAN	18/11/1999	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B. Sc.
✓ 14	100014571	17/10/2018	1809	3172061	10034403	ANKITA SHARMA	22/05/2001	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 15	100014524	17/10/2018	1799	2968409	10035290	PAYAL SHARMA	13/09/1998	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 16	100013909	16/10/2018	1809	3185753	10034949	MAYA SISODIYA	10/02/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 17	100013710	15/10/2018	1323	3159362	10034275	MANOJ SHARMA	06/05/1999	1028-Arts-B. A.
✓ 18	100013708	15/10/2018	1809	3169360	10034276	REENA SHARMA	06/11/2001	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.

[Handwritten Signature]


प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आमर-मालवा) म.प्र.

✓ 19	100013705	15/10/2018	1333	3167921	10034186	SHIVAM SHARMA	13/02/2000	1032-Commerce-B. Com
✓ 20	100013622	15/10/2018	1237	3170916	10034343	SHOBHA SHARMA	13/02/2000	1028-Arts-B. A.
✓ 21	100012809	12/10/2018	1809	3049416	10015601	MANISHA JAIN	17/08/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 22	100012804	12/10/2018	1327	3052560	10019211	SNEHA JAIN	09/10/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 23	100012801	12/10/2018	1809	3044277	10013568	VANDNA JAIN	10/10/2002	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 24	100012799	12/10/2018	1333	3044775	10019223	DEEPAK NA	23/10/1999	1032-Commerce-B. Com
✓ 25	100012797	12/10/2018	1799	3046635	10013609	UMA CHOUHAN	13/12/1999	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 26	100012585	12/10/2018	1905	3158613	10033704	ISHWAR SINGH SISODIYA	07/07/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 27	100012471	11/10/2018	1227	3042825	10013602	RAVINA JAIN	05/07/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 28	100011507	10/10/2018	1423	3041502	10010590	ANKUSH JAIN	08/10/1998	1032-Commerce-B. Com
✓ 29	100011506	10/10/2018	1995	3042626	10011351	ASHISH SHRIVASTAV	08/02/1996	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 30	100011505	10/10/2018	1799	3042815	10012195	GULNAZ BEE	25/02/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 31	100011504	10/10/2018	1423	3041500	10010589	PIYUSH JAIN	13/01/1999	1032-Commerce-B. Com
✓ 32	100011503	10/10/2018	1237	3040962	10013430	RUBEENA PATHAN	14/06/1996	1028-Arts-B. A.
✓ 33	100011502	10/10/2018	1799	3042813	10012190	SHAMIM NA	02/05/1999	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 34	100011501	10/10/2018	1423	3041494	10010588	SHELENDRA JAIN	25/01/1998	1032-Commerce-B. Com
✓ 35	100011301	09/10/2018	1995	3046634	10013604	JAGDISH SHARMA	01/08/1999	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 36	100011299	09/10/2018	1423	3044113	10012270	PAVAN SHARMA	01/01/1996	1028-Arts-B. A.
✓ 37	100011298	09/10/2018	1809	3046224	10013421	MAHIMA KUSHWAH	23/11/2001	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 38	100011297	09/10/2018	1899	3044218	10012282	VINITA SHARMA	08/08/1997	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.

Handwritten signature

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (अनूप-नामका) पं.

✓ 39	100011296	09/10/2018	1809	3044135	10012273	POOJA KUNWAR DODIYA	01/04/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 40	100011295	09/10/2018	1333	3035442	10007445	SHAMBHU SINGH	28/07/1999	1032-Commerce-B. Com
✓ 41	100011294	09/10/2018	1905	3046632	10013600	SANJAY SHARMA	10/09/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 42	100011293	09/10/2018	1995	3044200	10012281	NITESH SHARMA	08/09/1998	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 43	100011292	09/10/2018	1237	3056717	10025451	HARSHITA JAIN	02/07/2000	1028-Arts-B. A.
✓ 44	100011291	09/10/2018	1875	3059490	10024150	ARPIT GUPTA	01/12/1997	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B. Sc.
✓ 45	100011290	09/10/2018	1323	3056713	10024069	SACHIN JAIN	03/12/1999	1028-Arts-B. A.
✓ 46	100011289	09/10/2018	1327	3053389	10019198	PRIYANKA SHARMA	12/07/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 47	100011288	09/10/2018	1327	3052562	10019216	HEMA AGRWAL	09/06/1997	1028-Arts-B. A.
✓ 48	100011287	09/10/2018	1327	3053525	10019196	KHUSHBU NA	03/05/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 49	100011286	09/10/2018	1327	3053539	10019209	HARSHA SHARMA	27/09/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 50	100011285	09/10/2018	1423	3047109	10013979	DEEPENDRA KUSHWAH	13/05/1999	1028-Arts-B. A.
✓ 51	100011283	09/10/2018	1323	3042811	10012171	DEVI SINGH	10/08/1998	1028-Arts-B. A.
✓ 52	100011282	09/10/2018	1809	3049413	10015599	ANNU KUNWAR	02/04/1998	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 53	100011280	09/10/2018	1905	3049412	10015598	AJAY SHARMA	21/09/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 54	100011278	09/10/2018	1809	3041521	10012266	KASHISH JAIN	24/04/2001	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 55	100011276	09/10/2018	1905	3044274	10013567	KAPIL SHARMA	12/06/2002	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 56	100011274	09/10/2018	1881	3042829	10011666	BHOLA SHARMA	07/09/2000	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B. Sc.
✓ 57	100011267	09/10/2018	1333	3044278	10013569	KAPIL RAJAVAT	07/05/2000	1032-Commerce-B. Com
✓ 58	100011266	09/10/2018	1905	3042812	10012204	GIRIRAJ SHARMA	02/03/2000	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.

[Handwritten signature]

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुरसेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

✓ 59	100011265	09/10/2018	1785	3041108	10010565	SHIVANI JAIN	20/07/2002	1085-Botany - Chemistry - Zoology-B. Sc.
✓ 60	100011264	09/10/2018	1785	3036305	10007983	SARITA CHOUHAN	03/03/2001	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B. Sc.
✓ 61	100011260	09/10/2018	1785	3044587	10012426	AKSHITA SHARMA	07/09/2002	1116-Chemistry - Mathematics - Physics-B. Sc.
✓ 62	100011246	09/10/2018	1257	3036251	10007916	ASMA BEE	27/06/1997	1028-Arts-B. A.
✓ 63	100011243	09/10/2018	1237	3029242	10003627	UJMA BEE	20/03/1999	1028-Arts-B. A.
✓ 64	100011239	09/10/2018	1237	3027282	10002700	POOJA NA	19/02/2000	1028-Arts-B. A.
✓ 65	100011236	09/10/2018	1237	3027372	10002749	KAVITA SHARMA	26/03/1999	1028-Arts-B. A.
✓ 66	100011223	09/10/2018	1237	3033954	10006617	AYSHA KHAN	16/09/2000	1028-Arts-B. A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 स. वि. सारस्वतीय महाविद्यालय
 मुसफर जिला (अमर-मालवा) म.प्र.